Form No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

App A

अज अदालत – सब डिविजनल ऑफिसर
शाहबाद

मुकाम – फुलियाकलां

बनाम, दुल्हाराम गुर्जर वगैरा

किस्म मुकदमा – 53 आर टी एक्ट

प्रकरण संख्या – 47 /2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म तामील से जारी हुए
09.11.2021	वकील वादी द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 आर टी एक्ट विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत किया गया। वादपत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणो को जरिये सम्मन तलब किया जावें। पत्रावली वास्ते विपक्षीगण की तलबी हेतु दिनांक 17.11.2021 को प्रशासन गावों के संग अभियान शिविर मुकाम हुकुमपुरा में पैश हो।	
	17.11.2021 पत्रावली आज प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम हुकमपुरा में पेश हुई। वादी व प्रतिवादी संख्या 3, 4 शिविर में उपस्थित। विपक्षी राज्य पक्ष तहसीलदार फुलियाकलां की और से पैरोकार उपस्थित। विपक्षी संख्या 1, 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से विरूद्ध विपक्षी 1, 2 एकतरफा कार्यवाही की आज्ञा पारित की गई। शेष उपस्थित विपक्षी संख्या 3, 4 ने वादपत्र वादी स्वीकार किये जाने में अपनी ओर से सहमती व्यक्त की। शिविर में मौजूद वादी ने शहादत्त में संलग्न राजस्व अभिलेख चालु जमाबन्दी पर लाल स्याही से प्रदर्श 01, 02, 03 का अंकन किया गया। वाद पत्र विभाजन आराजियात बाबत हैं। बहस वादपत्र मे सुनी गई। पत्रावली का अद्योपांत अध्ययन/परीक्षण किया गया। वादपत्र वादी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण मंजूर कर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है। प्राथमिक डिक्री की छाया प्रति पालनार्थ तहसीलदार फुलियाकलां को प्रेषित हो। पत्रावली वास्ते देखने विभाजन स्कीम हेतु दिनांक 24.11.2021 को पेश हो।	ललिताशर्मा सांवरा गुर्जर रामलाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajkesh Meena
Date: 2021.12.21 11:48:51 IST
Reason: SelfAttested